न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 11/2022

शीर्षक

1. मुरलीधर पुत्र किशना उम्र 70 वर्ष, जाति अहीर, निवासी बावडी की ढाणी, तन घासीपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. कालू पुत्र बोदू
2. गोपाल पुत्र बोदू
3. बंशी पुत्र बोदू
4. बन्नाराम पुत्र बोदू
5. हरसहाय पुत्र बोदू
6. घासीराम पुत्र लालू उर्फ लाला
7. रामनारायण पुत्र लालू उर्फ लाला
8. जोधा पुत्र बिरदू
9. नानगा पुत्र बिरदू
10. बद्री पुत्र बिरदू
11. नन्छी देवी पत्नी मुरलीधर
12. सूरजमल पुत्र जैलाराम

    समस्त वयस्क समस्त जाति अहीर (यादव) समस्त निवासी बावडी की ढाणी, तन—घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

14. चिमाराम पुत्र किशना
15. सीताराम पुत्र किशना
16. बंशीधर पुत्र ईश्वर
17. कालूराम पंत्र ईश्वर
18. शिंभुदयाल पुत्र ईश्वर
19. राधा देवी पुत्री ईश्वर
20. रामेश्वरी देवी पुत्री ईश्वर

तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत दुरूस्ती इंद्रराज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 7/2/2023

वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता संख्या 38 के हाल खसरा नंबर 837 रकबा 0.51 है0, वाकै ग्राम बावडी की ढाणी, पटवार हल्का घासीपुरा, भू0अभि0नि0, खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। वादी का सजरा खानदान निम्नप्रकार से है

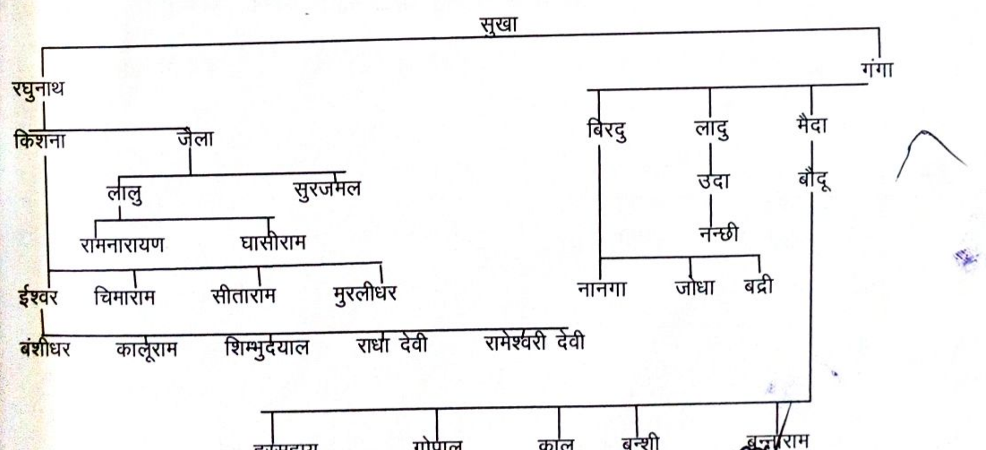

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

A. C. & T. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित वादी के सजरा खानदान के अनुसार वादी के पूर्वज सुखा के दो पुत्र रघुनाथ व गंगा तथा रघुनाथ के दो पुत्र किशना व जैला तथा गंगा के तीन पुत्र बिरदु, लादू, मैदा हुए इस प्रकार उपरोक्त वादी के सजरा खानदान के अनुसार किशना के पिता का नाम रघुनाथ है तथा राजस्व रिकार्ड में सहवन से किशना के पिता का नाम रघुनाथ के बजाए गंगा अंकित कर दिया है जो दुरूस्तनीय है। वादी के सजरा खानदान व अन्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी के पिता का नाम किशना पुत्र रघुनाथ है केवल मात्र वादपत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी के पिता का नाम किशना पुत्र गंगा के बजाए किशना पुत्र रघुनाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु वादी को उक्त वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र में वर्णित भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज किशना के पिता का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड रहा है।

वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद दुरुस्ती इन्द्राज एवं खातेदारी उद्घोषणा डिकी फरमायी जावे कि हाल खाता संख्या 38 हाल खसरा नम्बर 837 रकबा 0.51 है0 भूमि वार्क ग्राम बावडी की ढाणी, पटवार हल्का घासीपुरा, भू0अभि0नि0 खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज किशना के पिता का नाम गंगा के बजाए रघुनाथ अंकित किया जावे तथा उक्त नाम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दमराद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी 3 , 7, 12, 14, 15, 16, 18 उपस्थित हुये लेकिन प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया तथा सभी पक्षकार उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी । वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज किशना के पिता का नाम गंगा के बजाए रघुनाथ अंकित किया जावे तथा उक्त नाम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दमराद किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया । तथा प्रश्नगत आराजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी के सजरा खानदान के अनुसार वादी के पूर्वज सुखा के दो पुत्र रघुनाथ व गंगा तथा रघुनाथ के दो पुत्र किशना व जैला तथा गंगा के तीन पुत्र बिरदु, लादू, मैदा हुए इस प्रकार उपरोक्त वादी के सजरा खानदान के अनुसार किशना के पिता का नाम रघुनाथ है तथा राजस्व रिकार्ड में सहवन से किशना के पिता का नाम रघुनाथ के बजाए गंगा अंकित कर दिया है तथा वादी का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त होना भी साबित होता है। इस प्रकार वकील वादी की बहस तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्यवादी के शपथ पत्रो के अवलोकन में भी यही जाहिर किये जाने से प्रश्नगत आराजी में वादी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल खाता संख्या 38 के हाल खसरा नंबर 837 रकबा 0.51 है0, वाकै ग्राम बावडी की ढाणी, पटवार हल्का घासीपुरा, भू0अभि0नि0, खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज किशना के पिता नाम गंगा के बजाय रघुनाथ उर्फ गंगा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 11/2022

शीर्षक

1. मुरलीधर पुत्र किशना उम्र 70 वर्ष, जाति अहीर, निवासी बावडी की ढाणी, तन घासीपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. कालू पुत्र बोदू
2. गोपाल पुत्र बोदू
3. बंशी पुत्र बोदू
4. बन्नाराम पुत्र बोदू
5. हरसहाय पुत्र बोदू
6. घासीराम पुत्र लालू उर्फ लाला
7. रामनारायण पुत्र लालू उर्फ लाला
8. जोधा पुत्र बिरदू
9. नानगा पुत्र बिरदू
10. बद्री पुत्र बिरदू
11. नन्छी देवी पत्नी मुरलीधर
12. सूरजमल पुत्र जैलाराम
    समस्त वयस्क समस्त जाति अहीर (यादव) समस्त निवासी बावडी की ढाणी, तन–घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

14. चिमाराम पुत्र किशना
15. सीताराम पुत्र किशना
16. बंशीधर पुत्र ईश्वर
17. कालूराम पंत्र ईश्वर
18. शिंभुदयाल पुत्र ईश्वर
19. राधा देवी पुत्री ईश्वर
20. रामेश्वरी देवी पुत्री ईश्वर

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इंद्रराज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 07/02/2023

अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता है कि हाल खाता संख्या 38 के हाल खसरा नंबर 837 रकबा 0.51 है0, वाकै ग्राम बावडी की ढाणी, पटवार हल्का घासीपुरा, भू0अभि0नि0, खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज किशना के पिता नाम गंगा के बजाय रघुनाथ उर्फ गंगा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

A.C. & E.M. (F.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	